

संख्या:1506/78-1-2023-1099/178/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव,

30 प्र 0 शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

ग्रेटर नोएडा/ नोएडा/ यूपीसीडा

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनु-1

लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर, 2023

विषय: अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम-2016

में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को

उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकार किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 10-08-2023 के

अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लि० के पत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश के दो महत्वपूर्ण महानगर व इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अग्रणी शहर गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के बनाए हुए बाई-लाज व दिशा-निर्देश के आधार पर कंपनी को निजी भूमि पर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए वार्षिक शुल्क देने हेतु बाध्य किया जा रहा है। इस अनुचित शुल्क के कारण प्रदेश में 4 जी/5 जी टावरों व टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को वांछित गति नहीं मिल पा रही है।

2- अवगत कराना है कि अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकार किये जाने विषयक शासनादेश सं०-17/2023/1305/78-1-2023-45 आई० टी०/2016, दिनांक 10-08-2023 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-06 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

"नगर निकाय की सीमा में स्थापित किये जाने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए संबंधित विभाग वार्षिक धनराशि या टैरिफ नहीं ले सकेंगे तथा विभाग स्वयं की भूमि पर लगाने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ही किराया प्राप्त कर सकेगा।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 10.08.2023 प्राधिकरणों में अंगीकृत कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए शासनादेश दिनांक 10-08-2023 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पॉलिसी में नियत टैरिफ के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर) Signed by अनिल कुमार सागर

Date: 12-09-2023 19:51:08

Reason: Approved

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, संचार भवन, 20-अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन
- 3- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेहा जैन)

अनु सचिव।

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

सेवा में,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ ।

35 दिनांक : 06-Sep-2023  
AS(A)  
Pls put up PFA on file  
4  
(नेहू जीन) 23.

विषय : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1305/78-1-2023-45आई.टी./2016 दिनांक 10.08.2023 के बिन्दु-06 के अन्तर्गत वर्णित कथनों के सापेक्ष विभिन्न निकायों व प्राधिकरणों को सिफ्ट, निर्देश निर्गत किए जाने के सम्बंध में-  
उपरो शासन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1305/78-1-2023-45आई.टी./2016 दिनांक 10.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार ने पुनः अधिसूचना दिनांक 17.08.2022 द्वारा 5जी टेलीकॉम रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत किए गए संशोधनों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकार किया गया है (प्रति संलग्न) । कंपनी उपरोक्त शासनादेश हेतु आपकी कोटिशः आभारी है, निश्चय ही इन दिशा-निर्देशों से प्रदेश में 5जी टेलीकॉम नेटवर्क रोल आउट को अप्रत्याशित गति मिल सकेगी ।

इस क्रम में कृपया उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु 06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस प्रकार है-

"नगर निकाय की सीमा में स्थापित किए जाने वाले टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए संबंधित विभाग वार्षिक धनराशि या टैरिफ नहीं ले सकेंगे तथा विभाग स्वयं की भूमि पर लगने वाले टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ही किराया प्राप्त कर सकेगा ।"

अवगत कराना है कि प्रदेश के दो महत्वपूर्ण महानगर व इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अग्रणी शहर- गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के बनाए हुए बाई-लाज व दिशा-निर्देश के आधार पर कंपनी को निजी भूमि पर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए वार्षिक शुल्क देने हेतु बाध्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य शहरों में भी निगमों, निकायों व प्राधिकरणों द्वारा निजी भूमि पर स्थापित टावरों पर काफी अधिक वार्षिक शुल्क अधिरोपित कर उसका भुगतान करने हेतु कंपनी को बाध्य किया जाता है । इन अनुचित शुल्कों के कारण से प्रदेश में 4जी/5जी टावरों व टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को वांछित गति नहीं मिल पा रही है ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रदेश के निगमों, जिला पंचायतों, प्राधिकरणों को प्रशङ्गत शासनादेश के बिन्दु-06 में वर्णित निर्देशों को पूर्णतयः पालन किए जाने हेतु उपरोक्त वर्णित दोनों प्राधिकरणों को पत्र निर्गत करने की कृपा करें ।

प्रमुख सचिव  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,  
आई.टी. एवं इले., एन.आर.आई. विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
Aandeep  
Rachwal  
कृत जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लि०

Done  
12.9.23

VS(NJ)  
to VC, QDA & CEO, Noida to adapt Row policy and for tariff according to the policy

6.9.2022  
(अनिल कुमार साहासगरो को पत्र निर्गत करने की कृपा करें ।

SO, IT-1  
11/09/2022  
11.9.23

कृपया कार्यालय पर न डी.एच. सुपुर्ण करवाएं कृपया

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2023

विषय:- अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किया गया, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या- 852/78-1-2018-45आई0टी0/2016 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- वर्तमान में राइट ऑफ वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित को अधिकृत किया गया है:-

(i) आवास विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों में अनुमतियां, इन क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्तर से जारी न होकर आवास विकास के अधीन संबंधित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के स्तर से प्रदान की जायेगी।

(ii) आवास विभाग के अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र से आच्छादित स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधीनस्थ क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में वार्षिक किराये/शुल्क की धनराशि सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायतों के खातों में प्राप्त होगी।

(iii) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में उनके द्वारा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारियों द्वारा।

3- भारत सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 में अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा किये गये संशोधनों को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1260/78-1-2022 दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश में भी अंगीकार किया गया है।

4- भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 में पुनः संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसमें 5जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित किया गया है।


5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को एतद्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न संशोधनों के अनुसार अंगीकार किया जाने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र0सं0 | अधिसूचना दिनांक 17-8-2022 का प्रस्तर क्रमांक   | अधिसूचना दिनांक 17-8-2022 में निर्दिष्ट व्यवस्था   | प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय   |
|---------|--|--|---|
| 1.      | 10.ख   | निजी सम्पत्ति पर तार अवसंरचना की स्थापना-जहां कोई अनुज्ञसिधारी निजी सम्पत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है, तो अनुज्ञसिधारी को समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।  | टेलीकॉम टॉवर को निजी भवनों पर लगाये जाने हेतु भवनों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी फिटनेस के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अभियन्ता अथवा अन्य रजिस्टर्ड अभियन्ता से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही निजी भवनों पर टॉवर लगाने का कार्य प्राधिकरण की लिखित अनुमति के उपरान्त किया जायेगा।<br>प्राधिकरण का अभिप्राय प्रस्तर 02 के उप प्रस्तर-i, ii, iii एवं iv से है। |
| 2.      | नियम 14 के पश्चात अंतःस्थापित अनुसूची के भाग-2 प्रत्यास्थापित भार के अन्तर्गत क्रम सं-6(3) | अचल सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत। | अचल सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत सेवाप्रदाता से बैंक गारण्टी के रूप में ली जायेगी तथा नोटिस के बावजूद कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण न किये जाने की दशा में कम्पनी                |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | को संबंधित प्राधिकारी द्वारा ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। |
|--|--|--|---|

6- नगर निकाय की सीमा में स्थापित किये जाने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सम्बन्धित विभाग वार्षिक धनराशि या टैरिफ नहीं ले सकेंगे तथा विभाग स्वयं की भूमि पर लगने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ही किराया प्राप्त कर सकेगा।

7- कृपया अपने स्तर से सर्वसंबन्धित को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोक्त।


भवदीय,  
  
(अनिल कुमार सागर)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 3- समाज कल्याण आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।
- 9- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
- 13- गोपन अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- 14- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

  
(अक्षय त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238236  
CG-DL-E-25082022-238236

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561]  
No. 561]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि.: 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रारम्भिक पैरा में कोष्ठकों और शब्दों "(ऑप्टिकल फाइबर)" और "(मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन)" का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
"(ज) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है"।
- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(2) इन नियमों के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन को अनुज्ञतिधारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के परंतुक में "एक हजार रूपए प्रति किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1क) स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना का क्षेत्र डक्ट की लम्बाई एवं डक्ट के व्यास तथा डक्टों की संख्या के गुणज में होगा।

*स्पष्टीकरण:-* "डक्ट" से स्थायी तौर पर चिकना या किसी अन्य प्रकार का पाईप अभिप्रेत है जिसे तारयंत्र लाइन के लिए भूमिगत केबल पाइपलाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(1ख) समुचित प्राधिकारी अनुज्ञतिधारी से ऐसी संपत्ति के उपयोग के लिए जिसके नीचे भूमिगत तार अवसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है, अनुसूची के भाग-111 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (क) में:-

(i) "जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन" शब्दों के स्थान पर "भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां भूमिगत तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए क्षैतिज दिशात्मक खुदाई प्रयुक्त की गई है वहां प्रत्यास्थापित भार केवल गड्ढों के लिए ही उद्ग्रहित किया जाएगा।";

(ग) उप-नियम (3) में "रकम" शब्द के स्थान पर "अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में:-

(i) "सीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) "नियम 5" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 9 के उप-नियम (3) के परंतुक में "दस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोबाइल टावर और सहायक अवसंरचना जैसे कि भूमि के ऊपर ट्रांसीवर स्टेशन, ईजन अल्टरनेटर आदि के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा।";

(ख) उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना हेतु अज्ञात संपत्ति के लिए संदेय प्रतिकर अनुसूची के भाग-111 में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।";

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (क) में "की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "या उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट



प्रतिकर, अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक, का संदाय, भी है, लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "नियम 9" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक को अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ड.) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) इस नियम तथा नियम 10ख और अनुसूची के प्रयोजन के लिए, पद-

(क) "मोबाइल टावर" से किसी तारयंत्र को ले जाने, निलंबन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्ति अभिप्रेत है जिसमें खंभा शामिल नहीं है;

(ख) "खंभा" से तारयंत्र को ले जाने, निलंबन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्ति अभिप्रेत है जिसकी ऊंचाई आठ मीटर से अनधिक हो;

(ग) "छोटे सेल" से निम्न पॉवरर्ड सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड जिसकी कवरेज दस मीटर से दो किलोमीटर दूरी तक है अभिप्रेत है।"

9. उक्त नियम के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"10क. छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग- (1) कोई अनुज्ञासिधारी छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के प्रयोजन हेतु, जिस मार्ग फर्नीचर पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस मार्ग फर्नीचर के ब्यारे और समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा उस मार्ग फर्नीचर की संरचना सुरक्षा की प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ, आवेदन को छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग की अनुज्ञा के लिए समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन को आवेदन की जाच के लिए प्रशासनिक व्यय को वहन करने हेतु ऐसा फीस जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए जो कि अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक हो के साथ प्रस्तुत करेगा होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी आवेदन करने की तारीख के साठ दिनों से अनधिक की अवधि के भीतर कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आवेदन को अनुज्ञा प्रदान करेगा या लिखित रूप में कारणों के साथ निरस्त करेगा:

परंतु कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन को ऐसी अस्वीकृति के कारणों के संबंध में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है:

परंतु यह और कि यदि समुचित प्राधिकारी अनुज्ञा देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा दी गई समझी जाएगी।

(4) समुचित प्राधिकारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक को अनुज्ञासिधारी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी अपने भवनों तथा अवसंरचनाओं पर छोटे सेलों को संस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए "समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी" से ऐसी केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित या स्थापित प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है, जहां ऐसी संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ में, चारों ओर, अंदर या बाहर जिसे भूमिगत या भूमि के ऊपर, ऐसी सरकार, प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन, या में निहित तार अवसंरचना को स्थापित या अनुरक्षित किया जाना है।

10ख. निजी संपत्ति पर तार अवसंरचना की स्थापना - जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी निजी संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

परंतु किसी निजी भवन या अवसंरचना के ऊपर मोबाइल टावर या खंभे की स्थापना के मामले में अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थापना को शुरू करने से पहले समुचित प्राधिकारी को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि सूचना के साथ-साथ वह ऐसे भवन या अवसंरचना, जहां मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, का व्योरा और जहां पर मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस भवन या अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को प्रमाणित करने वाले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

10. उक्त नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2) (क), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (क), 10 क (2), 10 क (4) देखें]

| नियम                      | मद  | रकम   |
|---------------------------|---|---|
| (1)                       | (2)   | (3)   |
| भाग-I फीस                 |   |   |
| 5(3)                      | भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए   | एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।  |
| 9(3)                      | भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए  | (i) मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए दस हजार रुपए।<br>(ii) भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।<br>(iii) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी से निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य।<br>(iv) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी से इतर समुचित प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति खंभा। |
| 10क (2)                   | सर्गि फनीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए   | शून्य।  |
| भाग-II प्रत्यास्थापित भार |   |   |
| 6(2) (क)                  | ऐसी भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वचनबद्धता नहीं दी गई है। | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि।  |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 6(3)            | ऐसी भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के मामले में कार्य निष्पादन की सुविधा के रूप में बिजली गारंटी जहां पर अनुज्ञमिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए वचनबद्धता दी गई है। | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत।  |
| 10(3) (क)       | भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना   | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञमिधारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना की दशा में अपेक्षित क्षति को प्रत्यावर्तित करेगा। |
| भाग-III प्रतिकर |   |  |
| 6 (1ख)          | भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना  | शून्य  |
| 10 (2)          | छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना  | शून्य  |
| 10क (4)         | छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फनीचर का उपयोग  | (i) छोटे सेलों की संस्थापना के लिए सहरी क्षेत्र के लिए तीन सौ रूपए प्रति वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सौ पचास रूपए प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फनीचर।<br>(iii) तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए एक सौ रूपए प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फनीचर।   |

[फा. सं. 2-10/2022-नीति]

आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में तारीख 15 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और सा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चावर्ती रूप से संशोधित किए गए थे।

प/२३

संख्या:- 17/2023/1305/78-1-2023-45आई0टी0/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर  
प्रमुख सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2023

विषय:- अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किया गया, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या- 852/78-1-2018-45आई0टी0/2016 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- वर्तमान में राइट ऑफ वे अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित को अधिकृत किया गया है:-

(i) आवास विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुमतियां, इन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्तर से जारी न होकर आवास विकास के अधीन संबंधित प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र के स्तर से प्रदान की जायेगी।

(ii) आवास विभाग के अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र से आच्छादित स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधीनस्थ क्षेत्रों में अनापति प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में वार्षिक किराये/शुल्क की धनराशि सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायतों के खातों में प्राप्त होगी।

(iii) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में उनके द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारियों द्वारा।

3- भारत सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 में अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा किये गये संशोधनों को आईटीओ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1260/78-1-2022 दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश में भी अंगीकार किया गया है।

4- भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 में पुनः संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसमें 5जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित किया गया है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को एतद्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न संशोधनों के अनुसार अंगीकार किया जाने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र०सं० | अधिसूचना दिनांक 17-8-2022 का प्रस्तर क्रमांक   | अधिसूचना दिनांक 17-8-2022 में निर्दिष्ट व्यवस्था   | प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय   |
|---------|--|--|---|
| 1.      | 10.ख   | निजी सम्पत्ति पर तार अवसंरचना की स्थापना-जहां कोई अनुसंधारी निजी सम्पत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है, तो अनुसंधारी को समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।  | टेलीकॉम टॉवर को निजी भवनों पर लगाये जाने हेतु भवनों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी फिटनेस के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अभियन्ता अथवा अन्य रजिस्टर्ड अभियन्ता से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही निजी भवनों पर टॉवर लगाने का कार्य प्राधिकरण की लिखित अनुमति के उपरान्त किया जायेगा।<br>प्राधिकरण का अभिप्राय प्रस्तर 02 के उप प्रस्तर-i, ii, iii एवं iv से है। |
| 2.      | नियम 14 के पश्चात अंतःस्थापित अनुसूची के भाग-2 प्रत्यास्थापित भार के अन्तर्गत क्रम सं-6(3) | अचल सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत। | अचल सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत सेवाप्रदाता से बैंक गारण्टी के रूप में ली जायेगी तथा नोटिस के बावजूद कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण न किये जाने की दशा में कम्पनी                |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की पमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | को संबंधित प्राधिकारी द्वारा ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। |
|--|--|--|---|

6- नगर निकाय की सीमा में स्थापित किये जाने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सम्बन्धित विभाग वार्षिक धनराशि या टैरिफ नहीं ले सकेंगे तथा विभाग स्वयं की भूमि पर लगाने वाले टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ही किराया प्राप्त कर सकेगा।

7- कृपया अपने स्तर से सर्वसंबन्धित को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,  
अनिल कुमार सागर  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 3- समाज कल्याण आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।
- 9- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
- 13- गोपन अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- 14- गार्डफाइल।

आज्ञा से,  
अक्षय त्रिपाठी  
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अंतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

२१ अगस्त - 3

अनुसूची - 3

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238236  
CG-DL-E-25082022-238236

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561]  
No. 561]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 635(अं).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रारम्भिक पैरा में कोष्ठकों और शब्दों "(ऑप्टिकल फाइबर)" और "(मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन)" का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।"

- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(2) इन नियमों के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के परंतुक में "एक हजार रूपए प्रति किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1क) स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना का क्षेत्र डक्ट की लम्बाई एवं डक्ट के व्यास तथा डक्टों की संख्या के गुणज में होगा।

**स्पष्टीकरण:-** "डक्ट" से स्थायी तौर पर चिकना या किसी अन्य प्रकार का पाईप अभिप्रेत है जिसे तारयंत्र लाइन के लिए भूमिगत केबल पाइपलाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(1ख) समुचित प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से ऐसी संपत्ति के उपयोग के लिए जिसके नीचे भूमिगत तार अवसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है, अनुसूची के भाग-111 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (क) में:-

(i) "जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन" शब्दों के स्थान पर "भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां भूमिगत तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए क्षैतिज दिशात्मक खुदाई प्रयुक्त की गई है वहां प्रत्यास्थापित भार केबल संड्डों के लिए ही उदग्रहित किया जाएगा।";

(ग) उप-नियम (3) में "रकम" शब्द के स्थान पर "अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) "नियम 5" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) के परंतुक में "दस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-11 में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोबाइल टावर और सहायक अवसंरचना जैसे कि भूमि के ऊपर ट्रांसीवर स्टेशन, ईजन अल्टरनेटर आदि के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा।";

(ख) उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु छोटे-सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना हेतु अज्ञात संपत्ति के लिए संदेय प्रतिकर अनुसूची के भाग-111 में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा।"

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (क) में "की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "या उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट



प्रतिकर, अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक, का संदाय, भी है, लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीम" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "नियम 9" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक को अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ड.) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"(5) इस नियम तथा नियम 10 के पश्चात् अनुसूची के प्रयोजन के लिए, पद-

(क) "मोबाइल टावर" से किसी तारयंत्र को ले जाने, निलंबन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्त अभिप्रेत है जिसमें खंभा शामिल नहीं है;

(ख) "खंभा" से तारयंत्र को ले जाने, निलंबन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्त अभिप्रेत है जिसकी ऊंचाई आठ मीटर से अनधिक हो;

(ग) "छोटे सेल" से निम्न पॉवर सेलुलर रेडियो एक्सस मोड जिसकी कवरेज दस मीटर से दो किलोमीटर दूरी तक है अभिप्रेत है।"

9. उक्त नियम के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"10क. छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग- (1) कोई अनुजमिधारी छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के प्रयोजन हेतु, जिस मार्ग फर्नीचर पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस मार्ग फर्नीचर के व्यापार और समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा उस मार्ग फर्नीचर की संरचना सुरक्षा को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ, आवेदन को छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग की अनुज्ञा के लिए समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन को आवेदन की जाच के लिए प्रशासनिक व्यय को वहन करने हेतु ऐसा फीस जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए जो कि अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक हो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी आवेदन करने की तारीख के साठ दिनों से अनधिक की अवधि के भीतर कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आवेदन को अनुज्ञा प्रदान करेगा या लिखित रूप में कारणों के साथ निरस्त करेगा:

परंतु कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन को ऐसी अस्वीकृति के कारणों के संबंध में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है:

परंतु यह और कि यदि समुचित प्राधिकारी अनुज्ञा देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा दी गई समझी जाएगी।

(4) समुचित प्राधिकारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक को अनुजमिधारी से प्रतिकर प्राप्त करने का दायरदार होगा।

(5) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी अपने भवनों तथा अवसंरचनाओं पर छोटे सेलों को संस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए "समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी" से ऐसी केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित या स्थापित प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है, जहां ऐसी संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ में, चारों ओर, अंदर या बाहर जिसे भूमिगत या भूमि के ऊपर, ऐसी सरकार, प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन, या में निहित तार अवसंरचना को स्थापित या अनुरक्षित किया जाना है।

10ख. निजी संपत्ति पर तार अवसंरचना की स्थापना जहाँ कोई अनुज्ञतिधारी निजी संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है, तो अनुज्ञतिधारी को समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

परंतु किसी निजी भवन या अवसंरचना के ऊपर मोबाइल टावर या खंभे की स्थापना के मामले में अनुज्ञतिधारी ऐसी स्थापना को शुरू करने से पहले समुचित प्राधिकारी को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि सूचना के साथ-साथ वह ऐसे भवन या अवसंरचना, जहाँ मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, का चित्र और जहाँ पर मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस भवन या अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को प्रमाणित करने वाले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

10. उक्त नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2) (क), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (क), 10 क (2), 10 क (4) देखें]

| नियम                             | मद  | रकम   |
|----------------------------------|---|---|
| (1)                              | (2)   | (3)   |
| <b>भाग-I फीस</b>                 |   |   |
| 5(3)                             | भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए   | एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।  |
| 9(3)                             | भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए  | (i) मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए दस हजार रुपए।<br>(ii) भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।<br>(iii) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी से निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य।<br>(iv) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी से इतर समुचित प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति खंभा। |
| 10क (2)                          | मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए   | शून्य।  |
| <b>भाग-II प्रत्यास्थापित भार</b> |   |   |
| 6(2) (क)                         | ऐसी भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना जहाँ अनुज्ञतिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वचनबद्धता नहीं दी गई है। | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि।  |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 6(3)            | रेसी, भूमिगत तार (अवसंरचना) की स्थापना के मामलों में कार्य निष्पादन की सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जहां पर अनुज्ञतिधारी क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वचनबद्धता दी गई है। | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत।  |
| 10(3) (क)       | भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना   | अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञतिधारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना की दशा में अपेक्षित क्षति को प्रत्यावर्तित करेगा। |
| भाग-III प्रतिकर |   |  |
| 6 (1ख)          | भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना  | शून्य  |
| 10 (2)          | छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना  | शून्य  |
| 10क (4)         | छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फनीचर का उपयोग।   | (i) छोटे सेलों की संस्थापना के लिए शहरी क्षेत्र के लिए, तीन सी रूपर प्रति वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सी पचास रूपर प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फनीचर।<br>(ii) तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए एक सी रूपर प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फनीचर।   |

[फा. सं. 2-10/2022-नीति]

आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में तारीख 15 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और सा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चात्तरी रूप से संशोधित किए गए थे।